प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 14.08.2024

- **महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **थाना रनियां पुलिस की कार्यवाही से दुष्कर्म की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के विरूद्ध थाना रनियां पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 376/354ख/323/506 भा0द0वि0 व 3(1)द व 3(1) W(i) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत है।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रनियाँ पुलिस द्वारा दिनांक 25.06.2024 को पीडिता से दुष्कर्म करने तथा पीडिता द्वारा शोर मचाने पर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 132/24 धारा 376/354ख/323/506 भा0द0वि0 व 3(1)द व 3(1) w(i) SC/ST एक्ट बनाम 01 नफर नामजद अभियुक्त हरिगोविन्द पुत्र देवीप्रसाद निवासी ग्राम रायपुर मौजा सुनासी, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था, जिसमें वांछित चल रहे अभियुक्त हरिगोविन्द उपरोक्त को रायपुर पुल के नीचे थाना क्षेत्र रनियाँ से आज दिनांक 14.08.2024 को किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. हरिगोविन्द पुत्र देवी प्रसाद यादव निवासी ग्राम देवकली थाना रनियाँ कानपुर देहात।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 132/24 धारा 376/354ख/323/506 भा0द0वि0 व 3(1)द व 3(1) W(i) एससी/एसटी एक्ट थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार
2. उ0नि0 आनन्दवीर सिंह सोलंकी
3. हे0का0 612 शैलेन्द्र सिंह